इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 अगस्त 2011—श्रावण 19, शक 1933

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त, 2011

क्र. 4909-284-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 अगस्त, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राजेश यादव**, अपर सचिव.

**मध्यप्रदेश अधिनियम**

क्रमांक २८ सन् २०११.

## मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क ( संशोधन ) अधिनियम, २०११.

[दिनांक ९ अगस्त, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक 10 अगस्त, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

**मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क (संशोधन) अधिनियम, २०११ है. संक्षिप्त नाम.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) की धारा ३ में, उपधारा (१) में,—

(एक) सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"सारणी

**शुल्क की दरें**

**भाग—क**

| | |
|---|---|
| ऐसे विद्युत् उत्पादक (राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत् उत्पादन कम्पनी को छोड़कर) जो विद्युत् उत्पादन कर रहे हैं तथा मध्यप्रदेश में विद्युत् का थोक प्रदाय तथा विक्रय में लगे हैं | ५ पैसे प्रति यूनिट |

**भाग—ख**

नीचे दर्शित प्रयोजनों के लिए बेची गई, प्रदाय की गई या उपभुक्त की गई विद्युत् शक्ति:—

| अनुक्रमांक | उपभोक्ता की श्रेणी | उपभुक्त विद्युत् (यूनिट में) | विद्युत् की प्रति यूनिट टैरिफ की प्रतिशत में शुल्क की दर |
|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| १. | घरेलू उपभोक्ता | १०० यूनिट तक | ९ प्रतिशत |
| | | १०० यूनिट से अधिक २०० यूनिट तक | १२ प्रतिशत |
| | | २०० यूनिट से अधिक | १५ प्रतिशत |
| २. | गैर घरेलू उपभोक्ता | ५० यूनिट तक | ९ प्रतिशत |
| | | ५० यूनिट से अधिक | १५ प्रतिशत |
| ३. | खानें [सीमेंट उद्योगों की बद्ध खानों (केप्टिव माइन्स) से भिन्न खान]. | | ४० प्रतिशत |
| ४. | सीमेंट उद्योग (जिसके अंतर्गत उसकी बद्ध खानें भी हैं). | | १५ प्रतिशत |
| ५. | लो टेन्शन उद्योग (१५० एच पी तक और लो टेन्शन या हाई टेन्शन कनेक्शन के साथ १५० एच पी के स्टोन क्रशर. | | ९ प्रतिशत |
| ६. | लघु इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल और स्पंज इस्पात संयंत्र. | | ९ प्रतिशत |

| (१) | (२) | (३) | (४) |
|---|---|---|---|
| ७. | अन्य उद्योग (हाई टेन्शन कनेक्शन) | | १५ प्रतिशत |
| ८. | गैर औद्योगिक उपयोग (हाई टेन्शन कनेक्शन) | | १५ प्रतिशत |
| ९. | पावर लूम, आटा चक्कियां, आयल एम्सपेलर, थ्रेशर एवं कृषि प्रसंस्करण के उपयोग में आने वाली वैसी ही अन्य मशीनरी, टैक्सटाईल मिलें एवं अन्य संयंत्र. | | ९ प्रतिशत |
| १०. | ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जो अपने स्वयं के उपभोग के लिए ऊर्जा का उत्पादन करते हैं (बद्ध शक्ति संयंत्र इत्यादि). | | शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जाएंगी मानो वितरक कम्पनियों द्वारा विद्युत् शक्ति प्रदाय की गई हो. |
| ११. | राज्य सरकार के स्वामित्व से भिन्न विद्युत् उत्पादक संयंत्रों द्वारा उनके सहायक उपकरणों (आक्जीलरीज) हेतु उपभुक्त विद्युत् के लिए. | | १५ प्रतिशत |

परन्तु यदि विद्युत् शक्ति किसी एक प्रयोजन के लिए उपभुक्त की जाने के हेतु बेची गई या प्रदाय की गई यथा स्थिति, विद्युत् शक्ति के वितरक या विद्युत् उत्पादक की सम्मति के बिना, किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके कि लिए शुल्क की कोई उच्चतर दर प्रभार्य हो, उपभुक्त की जाने के हेतु या तो पूर्णत: या अंशत: उपयोग में लाई जाए, तो बेची गई या प्रदाय की गई सम्पूर्ण विद्युत् शक्ति पर उस उच्चतम दर से, जो कि लागू हो, प्रभार लगाया जाएगा:

परन्तु यह और कि कृषि सिंचाई पम्पों, लोकोपयोगी जल स्कीम के लिए तथा राज्य सरकार के स्वामित्व के विद्युत् उत्पादक संयंत्रों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले नगरपालिक निगमों तथा अन्य स्थानीय निकायों की जल तथा मल पंपिंग इन्स्टालेशनों के लिए कोई विद्युत् शुल्क प्रभार्य नहीं होगा.'';

(दो) स्पष्टीकरण में, खण्ड (ङ) का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011

क्र. 4910-284-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 28, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राजेश यादव,** अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 28 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH ELECTRICITY DUTY (AMENDMENT) ACT, 2011.

**[Received the assent of the Governor on the 9th August, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th August, 2011.]**

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

**Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Electricity Duty (Amendment) Act, 2011.

**Amendment of Section 3.** 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949), in sub-section (1),—

(i) for the table, the following table shall be substituted, namely:—

"TABLE
RATES OF DUTY

PART-A

| | |
|---|---|
| Such power producer (except the State owned Power Generating Company), those are generating electricity and engaged in bulk supply and sale of electricity in Madhya Pradesh | 5 Paise per Unit |

PART-B

Electrical energy sold, supplied or consumed for the purposes as shown below:—

| S. No. | Consumer Category | Consumed Electricity (in unit) | Rate of duty in percentage of tariff per unit of electricity per month |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Domestic Consumer | Upto 100 units | 9 Percent |
| | | in excess of 100 units upto 200 units | 12 percent |
| | | In excess of 200 untis | 15 Percent |
| 2. | Non domestic Consumer | Upto 50 units | 9 Percent |
| | | in excess of 50 units | 15 percent |
| 3. | Mines (other than captive mines of cement industries) | | 40 Percent |
| 4. | Cement industries (including its captive mines) | | 15 Percent |
| 5. | LT industries (upto 150 HP and Stone Crasher of 150 HP, with LT or HT Connection). | | 9 Percent |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 6. | Mini Steel Plant, Rolling Mills and Sponge Iron Plant. | | 9 Percent |
| 7. | Other Industries (HT Connections) | | 15 Percent |
| 8. | Non Industrial Uses (HT Connections) | | 15 Percent |
| 9. | Power-looms, Flour Mills, Oil expeller, thresher and similar other Machinery used for agricultural processing, Textile Mills and other plants. | | 9 Percent |
| 10. | For consumers who generate energy for their own consumptions (Captive Power Plants etc.) | | The rate of duty shall be calculated as if the electrical power is supplied by distribution Companies. |
| 11. | For the power consumed by power generating Plants, other than State owned for their auxiliaries consumption. | | 15 Percent |

Provided that if electrical energy sold or supplied for consumption for any one purpose is used either wholly or partially, without the consent of Distributor of electrical energy or producer of electricity, as the case may be, for consumption or any other purpose for which a Higher rate of duty is chargeable, the entire energy sold or supplied shall be charged at the highest rate applicable:

Provided further no electricity duty shall be charged for pump for agricultural irrigation, water and sewage pumping installations of Municipal Corporations and other local bodies used for public utility water schemes and State owned power generating plants.";

(ii) in explanation, clause (e) shall be deleted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.